<u>ई–मेल/पंजीकृत डाक</u>

प्रेषक,

नीरजा कुरील,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 31/03/2023**

विषयः गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नूरनगर राजनगर एक्सटेंशन के खसरा संख्या–578 व 579 पर हुए अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री गणेश चन्द जोशी, अवर अभियन्ता के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी/अपर आयुक्त (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ की जांच आख्या दिनांक 24.05.2022 (**छायाप्रति संलग्न**) उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) प्रकरण में सीलिंग आदेश पारित होने के उपरान्त भी उक्त आदेश से अवर अभियन्ता, श्री गणेश चन्द जोशी को अनभिज्ञ रखने तथा सीलिंग की कार्यवाही सम्पादित न किये जाने हेतु अवर अभियन्ता से वरिष्ठ अधिकारी अधिक दोषी हैं, क्योंकि उनके द्वारा न तो सीलिंग की कार्यवाही हेतु अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया न ही स्वयं सीलिंग सम्बन्धी कार्यवाही सम्पादित किये जाने का प्रयास किया गया। अतः उक्त हेतु उत्तरदायी सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जाय।

(ख) ग्राम नूरनगर राजनगर एक्सटेंशन के खसरा संख्या–578 पर दिनांक 17.12.2018 को ध्वस्त/सील की कार्यवाही के उपरान्त हुए अवैध निर्माण के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त बिन्दु 'क' व 'ख' के सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>**संलग्नकः यथोक्त।**</u>

भवदीया,

(**नीरजा कुरील**)
विशेष सचिव।